



सरकारी धनराशि की निगरानी


बजट की समीक्षा कैसे करें

मंदिरा काला, गायत्री मान और सुयश तिवारी

सरकारी वित्त पर संसद की नजर

केंद्र सरकार का व्यय 2000-01 में 3.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 24.4 लाख रुपए हो गया। इसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए का व्यय किया जाएगा। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से इस सरकारी धन को रक्षा, सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाता है।

रेखाचित्र 1: केंद्र सरकार का व्यय बढ़ रहा है (लाख करोड़ रुपए में)




संसद के सदस्य (सांसद) यह जांच करते हैं कि यह धन कहां से जमा किया जा रहा है, इसे किस प्रकार खर्च करने की योजना है और क्या इस व्यय से अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे। सांसद दो चरणों पर सरकार को इस खर्च के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। पहला, प्रत्येक वर्ष के शुरू होने से पहले वे केंद्रीय बजट की समीक्षा करते हैं और उसे मंजूर करते हैं जिसमें व्यय संबंधी प्राथमिकताओं, कराधान के प्रस्तावों और आगामी वित्तीय वर्ष में उधारियों का उल्लेख होता है। दूसरा, वे मंजूर किए गए व्यय की ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि आबंटनों को प्रभावी और उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया गया।

यह प्राइमर उन प्रणालियों को स्पष्ट करता है जिनके जरिए सांसद सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की निगरानी कर सकते हैं। प्राइमर उन पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट करता है जोकि बजट दस्तावेजों में सरकार की आय और व्यय तथा दोनों के अधिशेष या घाटे का खुलासा करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्राइमर बजट में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को विवरण प्रस्तुत करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि इनसे क्या जानकारी हासिल की जा सकती है।

केंद्रीय बजट की निगरानी

संसद दो प्रकार से सरकारी धन राशि की निगरानी करती है : (क) केंद्रीय बजट के जरिए सरकारी व्यय और कराधान प्रस्तावों की जांच और उन्हें मंजूरी, और (ख) संसदीय समितियों के जरिए विभिन्न कार्यों के लिए आबंटित धन राशि के उपयोग की समीक्षा करना।

रेखाचित्र 2: बजट प्रक्रिया



संसद में बजट पेश होने के बाद क्या होता है?


संसद में बजट पेश होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में उस पर सामान्य चर्चा होती है। इस चरण में चर्चा बजट और सरकार के प्रस्तावों की सामान्य जांच पर ख तक सीमित होती है। चर्चा के अंत में वित्त मंत्री जवाब देता है। इस चरण पर मतदान नहीं होता।

सामान्य चर्चा के बाद संसद में कुछ हफ्तों का अवकाश हो जाता है। इस चरण में सभी मंत्रालयों के व्यय संबंधी विस्तृत अनुमानों को संसद की स्थायी समितियों के पास समीक्षा के लिए भेजा जाता है। इन अनुमानों को अनुदान मांग कहा जाता है। समितियों में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्य होते हैं।

बजट प्रक्रिया में स्थायी समितियों की क्या भूमिका होती है?

स्थायी समितियों का एक कार्य मंत्रालयों को आबंटित धनराशि की छानबीन करना होता है। वर्तमान में 24 स्थायी समितियां सभी मंत्रालयों के कामकाज की निगरानी करती हैं। उदाहरण के लिए रक्षा संबंधी स्थायी समिति रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की अनुदान मांगों की छानबीन करती है जोकि 2018-19 के लिए 4 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है (यानी बजट का 16.5%)।

रेखाचित्र 3: स्थायी समितियों के दायरे में आने वाले व्यय (2018-19)



स्थायी समितियां निम्नलिखित की छानबीन करती हैं: (i) मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए आबंटित राशि और (ii) मंत्रालय को आबंटित राशि के उपयोग की प्रवृत्ति। इसके लिए मंत्रालय के अधिकारियों से समिति के समक्ष हाजिर होकर प्रश्नों के उत्तर देने तथा अनुदान मांगों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। मंत्रालय के व्यय की छानबीन करने के दौरान समितियां विशेषज्ञों से सलाह ले सकती हैं और उनसे विचारों को आमंत्रित कर सकती हैं।

इस सलाह के आधार पर समितियां अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं। समितियों के सुझाव के जरिए सांसदों को मंत्रालयों के प्रस्तावित व्यय के प्रभावों को समझने में मदद मिलती है और वे इन्हें मंजूर करने से पहले पूर्ण रूप से भिन्न होकर बहस में हिस्सा ले सकते हैं।

स्थायी समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों की छानबीन

2018-19 की अनुदान मांगों की छानबीन करते समय समिति ने निम्नलिखित निष्कर्ष और सुझाव दिए: (i) केंद्र का मौजूदा स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 0.3% है जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस नीति में 2025 तक केंद्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य व्यय को 2.5% करने की परिकल्पना की गई है, (ii) विभाग की मांग और आबंटन के बीच के अंतर, तथा धनराशि के हस्तांतरण में होने वाली देरी पर ध्यान दिया जाना चाहिए और (iii) बजटीय आबंटन के कम होने से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कमी आई है।


समिति ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का परिवर्तित रूप है। उसने सुझाव दिया कि आरएसबीवाई की विफलता का विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आरएसबीवाई के कार्यान्वयन और संचालन से जुड़ी कमियों को दोहराया नहीं जाएगा।

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद क्या होता है?

सामान्य तौर पर लोकसभा चार से पांच अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा करती है। हर वर्ष अलग-अलग मंत्रालयों को चर्चा के लिए चुना जाता है और यह फैसला लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है। चर्चा के बाद मतदान होता है। जिन मांगों पर चर्चा नहीं होती और अंतिम दिन मतदान होता है, वे गिलोटिन हो जाती हैं, यानी एक साथ पारित हो जाती हैं।

निम्नलिखित रेखाचित्र में 2000-01 से 2018-19 के दौरान गिलोटिन होने वाले बजटीय व्यय का हिस्सा प्रदर्शित किया गया है। 2004-05, 2013-14 और 2018-19 में सभी अनुदान मांगों को गिलोटिन कर दिया गया था, यानी बिना चर्चा के पारित कर दिया गया था।

रेखाचित्र 4: बजट व्यय का हिस्सा: गिलोटिन बनाम चर्चा (%)



अनुदान मांगों पर मतदान के दौरान सांसद 'कटौती प्रस्ताव' के जरिए अपनी नामंजूरी व्यक्त कर सकते हैं। अगर कटौती प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार में विश्वास खत्म हो गया है और कैबिनेट से त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जाती है। सांसद मंत्रालय के लिए अनुदान की राशि में निम्नलिखित कटौतियों के लिए कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं: (i) मंत्रालय की नीतियों से नामंजूरी जताते हुए एक रुपए कम करने की, (ii) एक विशिष्ट राशि की कटौती की (मितव्ययता कटौती), या (iii) विशिष्ट शिकायत दर्ज कराने के लिए 100 रुपए की टोकन राशि की।

बजटीय प्रक्रिया के अंतिम चरण क्या हैं?

अनुदान मांग मंजूर करने के पश्चात उन्हें विनियोग विधेयक में समेकित कर दिया जाता है। विधेयक स्वीकृत व्यय के लिए भारत के समेकित कोष से धन निकासी का प्रयास करता है जिसमें सरकार की सभी प्राप्तियां और उधारियां शामिल होती हैं।

विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद वित्त विधेयक पर भी विचार किया जाता है और उसे पारित किया जाता है। इस विधेयक में कर दरों में परिवर्तनों और विभिन्न संस्थाओं पर कर लगाने से संबंधित विवरण होते हैं।

लोकसभा के बजट पारित करने के बाद राज्यसभा विनियोग और वित्त विधेयकों को पारित करते समय केवल सुझाव दे सकती है क्योंकि वे दोनों मनी बिल होते हैं।

वित्त विधेयक

वित्त विधेयक बजट के साथ प्रस्तावित किया जाता है और इसमें आगामी वर्ष में सरकार के वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं। वित्त विधेयक को मूल रूप से मनी बिल के रूप में पेश किया जाता है। संविधान के अनुसार मनी बिल वे होते हैं जिनमें काराधान, सरकार की उधारियों या भारत के समेकित कोष से संबंधित प्रावधान होते हैं। मनी बिल को केवल लोकसभा की मंजूरी की जरूरत होती है, जिस पर राज्यसभा सिर्फ अपने सुझाव देती है।

पिछले कुछ वर्षों में वित्त विधेयकों में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिनका करों या सरकार के व्यय से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए फाइनांस बिल, 2016 में विदेशी योगदान (रेगुलेशन) एक्ट के संशोधन शामिल थे जोकि अलाभकारी संस्थाओं को दिए जाने वाले चंदे से संबंधित था। फाइनांस बिल, 2017 ने 19 अर्ध न्यायिक निकायों, जैसे सिक्योरिटीज़ अपीलीय ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल और टेलीकॉम विवाद निपटारा और अपीलीय ट्रिब्यूनल के संयोजन में बदलाव किए और प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल सहित सात अन्य निकायों को रद्द किया। इसके अतिरिक्त 2018 के बिल के लगभग आधे क्लॉजेज़ उन मुद्दों से संबंधित थे, जो करों से संबंधित नहीं हैं।

अगर सरकार वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन खर्च करना चाहती है तो क्या होता है?

वर्ष के दौरान अगर सरकार को धन खर्च करने की जरूरत पड़ती है जिसे संसद द्वारा मंजूर नहीं किया गया है या उसे अतिरिक्त व्यय करना होता है तो वह *अनुपूरक अनुदान मांग* प्रस्तावित कर सकती है। सामान्य रूप से अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रत्येक संसद सत्र में पारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बजट में प्रस्तुत अनुदान मांगों से अलग, इन अनुपूरक मांगों की छानबीन स्थायी समितियों द्वारा कभी नहीं की जाती।

2018-19 में सरकार ने तीन अनुपूरक अनुदानों मांगों को प्रस्तावित किया। इनके लिए संसद को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूर करना था (यानी 2018-19 के बजट का 12%)। उदाहरण के लिए 2018-19 की दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों में एयर इंडिया में इक्विटी डालने के लिए 2,345 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

बजट पारित होने के बाद निगरानी

बजट पारित होने के बाद संसद की निगरानी इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद द्वारा मंजूर राशि को उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वित्तीय समितियां सरकार के व्यय पर संसदीय नियंत्रण की छानबीन करती हैं और संसद में रिपोर्ट पेश करती हैं।

लोक लेखा समिति

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) सरकार के आय और व्यय के लेखे को ऑडिट करता है और संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। प्रत्येक वर्ष कैग संसद में लगभग 40 रिपोर्ट्स पेश करता है। चूंकि संसद के लिए इन सभी रिपोर्ट्स पर चर्चा करना मुश्किल है और इसमें काफी समय लगता है, इसलिए लोक लेखा समिति (पीएसी) को कैग की रिपोर्ट्स के निष्कर्षों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। पीएसी इस बात की छानबीन करती है कि क्या सरकार उस उद्देश्य के लिए धन खर्च कर रही है जिसके लिए संसद ने व्यय को मंजूर किया है।

रिपोर्ट्स की जांच करते समय पीएसी कैग के अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों से बातचीत करती है। सरकार पीएसी की प्रत्येक रिपोर्ट पर जवाब देती है और बताती है कि

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर पीएसी की 134वीं रिपोर्ट

समिति ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) पर कैग के प्रदर्शन ऑडिट की जांच की। पीएमएसएसवाई का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है: (i) नए एम्स की स्थापना, और (ii) सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों को अपग्रेड करना। समिति के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) परिचालनगत दिशानिर्देशों की गैर मौजूदगी जिसके कारण योजना के मुख्य पहलुओं पर तदर्थ फैसले लिए गए, (ii) वास्तविक व्यय के निरीक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण खर्च न होने वाली धनराशि जमा हुई, और (iii) खराब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और निरीक्षण के अभाव में एम्स को पूरा होने में पांच वर्ष का विलंब।

समिति ने कहा कि मंत्रालय के छह नए एम्स की स्थापना के लिए 332 करोड़ रुपये प्रति संस्थान की पूंजीगत लागत का अनुमान लगाया था। चार वर्ष बाद यह 820 करोड़ रुपये प्रति संस्थान पर संशोधित किया गया। यह सुझाव दिया गया कि मंत्रालय को कार्यों के निष्पादन में कॉन्ट्रैक्ट संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

उसने किस सुझाव को मंजूर किया और किसे नामंजूर। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर पीएसी एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करती है और उन्हें संसद में पेश करती है।

प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति मंजूर और व्यय की गई राशि पर सरकारी नियंत्रण और सरकार की सामान्य नीतियों के संबंध में मदद करती है। समिति के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (क) सुधारों और प्रशासनिक सुधार, जो किए जा सकते हैं, को रिपोर्ट करना, और (ख) प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के संबंध में सुझाव देना, और (ग) यह सुझाव देना कि क्या प्रस्तावित व्यय सरकारी नीति की सीमा के भीतर है।

इससे पूर्व प्राक्कलन समिति विभिन्न मंत्रालयों के व्यय के प्रस्तावित अनुमानों की जांच करने का कार्य करती थी। 1993 से विभाग संबंधी स्थायी समितियों को यह कार्य सौंपा गया तो प्राक्कलन समिति व्यापक रूप से कुछ सरकारी संगठनों के कार्यों की जांच करने लगी।

सशस्त्र बलों की तैयारी- रक्षा उत्पादन और खरीद पर प्राक्कलन समिति की 29वीं रिपोर्ट

समिति ने निम्नलिखित निष्कर्ष और सुझाव दिए: (i) रक्षा संबंधी तैयारी के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आबंटित किए जाने चाहिए, चूंकि 2016-17 का रक्षा व्यय जीडीपी का 1.6% था, जोकि 1962 से अब तक सबसे कम व्यय था, (ii) रक्षा बजट में पूंजीगत खरीद का हिस्सा लगातार कम हो रहा है जिसका प्रतिकूल असर सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर पड़ रहा है, और (iii) पुराने किस्म के हथियारों के स्थान पर आधुनिक हथियारों की तत्काल जरूरत जिसके लिए पूंजीगत बजट में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।

सरकारी वित्त को समझना

सरकारी वित्त को समझना


बजट के अंग के रूप में वित्त मंत्री आगामी वर्ष में सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करता है। इस विवरण में उस राशि के अनुमानों का उल्लेख होता है जिसे सरकार विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च करने वाली है और यह भी कि विभिन्न स्रोतों, जैसे करों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांशों से किस प्रकार उस धन राशि को अर्जित किया जाएगा। बजट में सरकार की उधारियों और उसके समूचे ऋण के अनुमानों का भी जिक्र होता है। इसके अतिरिक्त विवरण में यह लेखा भी होता है कि पिछले वर्ष संसद को दिए गए अनुमानों की तुलना में सरकार ने कितना धन अर्जित या खर्च किया है। इस खंड में मुख्य अवधारणाओं और पारिभाषिक शब्दों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार के वित्त का विवरण पेश किया गया है।

सरकार अपने व्यय को किस प्रकार वित्त पोषित करती है?

सरकार की प्राप्तियों से इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार के पास अपने व्यय को वित्त पोषित करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: (i) सरकार की अपनी प्राप्तियां, और (ii) उधारियां।

सरकार अन्य स्रोतों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्क और जुर्माने, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ में हिस्सेदारी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री से धन अर्जित करती है। उधारियों की जरूरत तब पड़ती है जब व्यय की तुलना में सरकार की अपनी प्राप्तियां कम होती हैं।

रेखाचित्र 5: सरकार के कुल व्यय में 26% हिस्सा उधारियों का (2018-19)




सरकार की प्राप्तियों को व्यापक स्तर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है- राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार की **राजस्व प्राप्तियों** में कर और गैर कर प्राप्तियां शामिल हैं।

सरकार की कर प्राप्तियों का योगदान 81% है और इस प्रकार इस श्रेणी में कर प्राप्तियों का घटक सबसे बड़ा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), निगम कर और आय कर जैसे कर सरकार के लिए सबसे अधिक प्राप्तियां अर्जित करते हैं। इनका योगदान क्रमशः 26%, 22% और 18% है (2018-19 के बजट के अनुसार)।

सरकार को करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी प्राप्तियां होती हैं। ऐसी गैर कर प्राप्तियों में शुल्क और जुर्माना, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश, पेट्रोलियम उत्पादन से रॉयल्टी और लाइसेंस की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि शामिल होती है। सरकार की प्राप्तियों में गैर कर स्रोतों की प्राप्तियों का योगदान 13% है (2018-19 के बजट के अनुसार)।

रेखाचित्र 6: सरकार की अपनी प्राप्तियों का ब्रेकअप (2018-19)



कुछ प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन करती हैं। जैसे सरकार की उधारियों से देनदारियों में बढ़ोतरी होती है जबकि सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां (जिसे विनिवेश करते हैं) से सरकारी परिसंपत्तियों में गिरावट होती है। ऐसी प्राप्तियां **पूंजीगत प्राप्तियां** कहलाती हैं। सरकार की प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) का योगदान 5% है (2018-19 के बजट के अनुसार)।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा रहा है। उदाहरण के लिए कुल पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों का हिस्सा 87% है (2018-19 के बजट के अनुसार)।

राज्यों को हस्तांतरण

केंद्र सरकार कुछ करों की वसूली से देश भर से धनराशि जमा करती है। इनमें आय कर, निगम कर, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल हैं। इस धनराशि को वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा हर पांच वर्ष में स्थापित किया जाता है ताकि वह केंद्र और राज्यों के बीच कर प्राप्तियों के वितरण के संबंध में सुझाव दे सके।

14वें वित्त आयोग (2015-20 की अवधि के लिए स्थापित) ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की 42% कर प्राप्तियों को राज्यों को सौंपा जाए। इसका अर्थ यह है कि ऐसे करों से अर्जित धनराशि के 42% हिस्से को राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। केंद्र सरकार को शेष 58% हिस्सा मिलता है।


हालांकि कुछ करों, जैसे सेस और सरचार्ज का वितरण राज्यों के बीच नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेस (आय कर के साथ वसूले जाने वाले) से प्राप्त होने वाले धन को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता। यह समूची राशि केंद्र सरकार की प्राप्तियों में आती है।

नवंबर 2017 में 2020-25 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग (चेयर: एन.के. सिंह) की स्थापना की गई। आयोग 30 अक्टूबर, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

सरकार अपना धन कैसे खर्च करती है?

सरकार रक्षा बलों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, सबसिडी देने, ऋण पर ब्याज चुकाने और वेतन एवं पेंशन सहित प्रशासनिक मदों में धन खर्च करती है।

रेखाचित्र 7: विभिन्न मंत्रालयों का व्यय (2018-19)



सरकार के व्यय का एक बड़ा हिस्सा (2018-19 के बजट का 24%) उधारियों पर ब्याज चुकाने में खर्च होता है। ये ब्याज भुगतान उस प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा है जिसके लिए सरकार बाध्य है।


इसके अतिरिक्त सरकार के व्यय का एक हिस्सा सबसिडी (12%) और पेंशन (7%) देने में खर्च किया जाता है। ब्याज भुगतान के साथ, इन दो घटकों पर सरकार के बजट के 43% के बराबर खर्च होता है (2018-19)। इन मदों में किया जाने वाला व्यय **राजस्व व्यय** कहलाता है। इसमें प्रशासनिक खर्च और वेतन भुगतान जैसे घटक भी शामिल हैं।

शेष राशि **पूंजीगत व्यय** होता है जोकि परिसंपत्तियों के सृजन या देनदारियों को कम करने पर खर्च होता है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क, अस्पताल और स्कूलों का निर्माण और उधारियों को चुकाना शामिल है।

रक्षा, कृषि या परिवहन जैसे क्षेत्रों के व्यय में **राजस्व** और **पूंजीगत व्यय**, दोनों शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की इमारत बनाना पूंजीगत व्यय होता है क्योंकि इससे परिसंपत्ति का सृजन होता है।

कुछ मदों में नियमित रूप से होने वाले व्यय, जैसे स्कूली शिक्षकों के वेतन का भुगतान, को राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है।

रेखाचित्र 8: सरकारी व्यय का ब्रेकअप (2018-19)



अगर कुल व्यय, कुल प्राप्तियों से अधिक हों?

अगर सरकार का व्यय, उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है, तो सरकार इस अंतर को उधारियों के जरिए वित्त पोषित करती है। इस अंतराल को **राजकोषीय घाटा** कहा जाता है और यह उस वर्ष के लिए अपेक्षित उधारियों के बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो राजकोषीय अधिशेष होता है।

कुछ वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों से अधिक रहा है। अधिक बड़े राजकोषीय घाटे से सरकार की उधारियों में बढ़ोतरी होती है। परिणाम के तौर पर सरकार को इन उधारियों के ब्याज भुगतान के रूप में अतिरिक्त व्यय करने का भार वहन करना पड़ता है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च होता है। (2018-19 में बजट का 24% हिस्सा)।

राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। किसी वर्ष में राजस्व घाटा उस वर्ष सरकार की उधारियों की ओर संकेत देता है जोकि उसे अपने राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए लेना पड़ता है, जैसे प्रशासनिक खर्च, या वेतन या ब्याज का भुगतान। इन उधारियों से परिसंपत्तियों के सृजन में कोई योगदान नहीं होता।


एफआरबीएम एक्ट, 2003 में राजकोषीय लक्ष्य

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2003 में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% पर ले आए। इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रारंभिक समय सीमा 2007-08 थी जिसे पिछले वर्षों के दौरान कई बार बढ़ाया गया।

हाल ही में वित्त एक्ट, 2018 ने इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा 2017-18 से बढ़ाकर 2020-21 कर दी। एक्ट ने उस प्रावधान को भी हटा दिया जिसमें केंद्र सरकार से राजस्व घाटे को जीडीपी के 2% पर सीमित करने की अपेक्षा की गई थी।

2018-19 में सरकार की प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर (राजकोषीय घाटा) जीडीपी का 3.4% अनुमानित था। इसका अर्थ यह है कि सरकार को अपने व्यय संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीडीपी के 3.4% के बराबर धनराशि उधार लेने की जरूरत है। अनुमान है कि जीडीपी के 2.2% के बराबर की उधारियों को राजस्व घाटे को दूर करने में खर्च किया जाएगा।

रेखाचित्र 9: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा (2018-19)




बकाया ऋण

सरकार प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर (राजकोषीय घाटा) को कम करने के लिए सालों-साल जो उधार लेती है, उससे उस पर ऋण बढ़ता जाता है।

केंद्र सरकार के बकाया ऋण के 2018-19 के अंत में जीडीपी का 48.8% होने का अनुमान है (2018-19 बजट)।

रेखाचित्र 10: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण



यह पिछली सरकारों द्वारा उधार ली गई राशि है और वर्तमान में 2018-19 के अंत में चुकाने योग्य है। अधिक उधारी लेने पर बकाया ऋण बढ़ता जाता है या सरकार द्वारा भुगतान करने पर बकाया ऋण में गिरावट आती है।

एफआरबीएम एक्ट विनिर्दिष्ट करता है कि सरकार के बकाया ऋण (केंद्र और राज्य का संयुक्त) को 2024-25 तक जीडीपी के 60% पर लाया जाए। इसमें केंद्र सरकार के बकाया ऋण को जीडीपी के 40% पर लाने का लक्ष्य भी शामिल है।

उच्च ऋण का अर्थ यह है कि सरकार पर ऋण को चुकाने की अधिक बड़ी बाध्यता है। इससे ब्याज भी उच्च स्तरीय होता है, चूंकि पूरे बकाया ऋण पर ब्याज चुकाना होता है।


क्या बजट अनुमान सरकार के वास्तविक व्यय से मेल खाता है?

बजट में सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानों को प्रस्तुत करती है। वर्ष के समाप्त होने पर कैग द्वारा वास्तविक आंकड़ों को ऑडिट किया जाता है, जिसके बाद उन्हें आगामी बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी अनुमान के दो वर्ष बाद वास्तविक आंकड़े सामने आते हैं।

सरकार के कुछ अनुमान वर्ष के दौरान बदल सकते हैं जोकि वास्तविक आंकड़ों में प्रदर्शित होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष के दौरान कुछ मंत्रालयों को बजट में आबंटित धनराशि से अधिक राशि की जरूरत हो सकती है या कुछ स्रोतों से आने वाली प्राप्तियों में परिवर्तन हो सकते हैं।

नीचे दिए गए आंकड़ों में 2007-08 से 2017-18 की अवधि के दौरान बजटीय अनुमानों और सरकार के कुल व्यय के बीच तुलना की गई है। जबकि सरकार ने कुछ वर्षों में अनुमान से कम खर्च किया है (2012-13 और 2014-15), कुछ दूसरे वर्षों में बजट से अधिक व्यय किया गया है (2011-12 और 2017-18)।

रेखाचित्र 11: सरकार का व्यय (बजटीय बनाम वास्तविक)



बजट दस्तावेजों पर एक नजर

बजट दस्तावेजों को कैसे संयोजित किया जाता है?

इस खंड में संसद में पेश होने वाले बजट दस्तावेजों और उनमें उल्लिखित जानकारियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इससे पाठकों को इन दस्तावेजों को नैविगेट करने तथा अपेक्षित जानकारियां हासिल करने के संबंध में भी पता चलेगा। हालांकि बजट में लगभग 14 दस्तावेज होते हैं, लेकिन उन्हें चार मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है (देखें तालिका 1)।

सारांश से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों में बजट के मुख्य प्रावधानों का सारांश होता है जिसमें मुख्य नीतिगत घोषणाएं, कर प्रस्ताव, सरकार की प्राप्तियों और व्यय के कुल आंकड़े शामिल होते हैं। चूंकि वे सारांश संबंधी दस्तावेज होते हैं, उनमें मंत्रालय या किसी कार्यक्रम की विशेष मदों के आबंटनों से संबंधित विशिष्ट आंकड़े मौजूद नहीं होते।

व्यय से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों में सरकार के व्यय से संबंधित जानकारियां होती हैं। इनके विवरण क्षेत्रों, मंत्रालयों और योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

प्राप्तियों से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों में सरकार द्वारा कर प्राप्तियों, गैर कर प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और उधारियों के जरिए अर्जित धनराशि के संबंध में जानकारी होती है।

एफआरबीएम से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 (एफआरबीएम) के प्रावधानों के अंतर्गत पेश किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार से सुदृढ़ आर्थिक नीतियों का अनुपालन और बजट घाटे की सीमा तय करने की अपेक्षा की जाती है।

इन दस्तावेजों के अतिरिक्त सरकार **बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन** नामक दस्तावेज भी संसद के पटल पर रखती है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों की बजट घोषणाओं से संबंधित प्रगति का उल्लेख होता है।

तालिका 1: केंद्रीय बजट के दस्तावेज

श्रेणी	दस्तावेज
सारांश से संबंधित दस्तावेज	बजट भाषण: मुख्य व्यय और कर प्रस्तावों की झलक
	बजट एक नजर में: सरकार द्वारा अर्जित कुल धनराशि (कर या उधारियों के जरिए) का संक्षिप्त विवरण, किस प्रकार उस धन को खर्च किया जाए और बजट घाटा/अधिशेष।
	वार्षिक वित्तीय विवरण: बजट एक नजर में, के समान लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रदत्त अनिवार्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए अलग तरह से संयोजित किया जाता है।
व्यय से संबंधित दस्तावेज	व्यय की रूपरेखा: सभी मंत्रालयों के कुल व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। ब्याज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अनुसार व्यय को प्रस्तुत करता है, यानी महिलाओं या अल्पसंख्यकों हेतु योजनाओं के लिए आबंटित राशि का सारांश।
	व्यय का बजट: प्रत्येक मंत्रालय के व्यय का विस्तृत विश्लेषण।
	अनुदान मांग/विनियोग विधेयक: संविधान के अंतर्गत अनिवार्य दो दस्तावेज, संसद को भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और योजनाओं को एक निश्चित धनराशि आबंटित करने को कहते हैं। संसद इन दस्तावेजों को पारित करने के लिए मतदान करती है।
प्राप्तियों से संबंधित दस्तावेज	प्राप्ति बजट: विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार सरकार भिन्न-भिन्न स्रोतों से धनराशि अर्जित करने का इरादा रखती है।
	वित्त विधेयक: संसद में प्रस्तुत विधेयक जिसमें सरकार के कर प्रस्तावों को लागू करने के लिए कानूनी संशोधन करने का प्रयास किया जाता है (और उस पर मतदान होता है)।
	वित्त विधेयक का मेमोरेंडम: वित्त विधेयक के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावों को सरल भाषण में प्रस्तुत करता है।
एफआरबीएम से संबंधित दस्तावेज	मैक्रो-इकोनॉमिक रूपरेखा: अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं पर सरकार के मूल्यांकन को स्पष्ट करता है।
	मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति : अगले तीन वर्षों के बजट घाटे की सीमा तथा कर और गैर कर प्राप्तियों के लक्ष्यों को निर्धारित करने वाला वक्तव्य।
	राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति : सृढ़ आर्थिक नीतियों के अनुपालन के सरकार के प्रयासों का खुलासा करने वाला वक्तव्य जिसमें एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत घाटे के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाता है (देखें उपरिलिखित मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति)।

जैसा कि तालिका में उल्लिखित है, संविधान के प्रावधानों अथवा एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत संसद में कुछ दस्तावेजों को पेश करने (और कुछ मामलों में मतदान करने) की अपेक्षा की जाती है। इनमें वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक, अनुदान मांगें, विनियोग और एफआरबीएम दस्तावेज शामिल हैं।

कोई जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है?

इस खंड में उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि बजट दस्तावेजों में मुख्य मानदंडों के आधार पर कैसे जानकारी हासिल की जा सकती है। बजट दस्तावेज वेबसाइट indiabudget.gov.in पर उपलब्ध है।

'बजट अनुमान', 'संशोधित अनुमान' और 'वास्तविक' क्या होते हैं?

बजट दस्तावेजों में आपको चार कतार मिलेंगी।

	(₹ करोड़) (In ₹ crore)			
	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
	वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
	Actuals	अनुमान	अनुमान	अनुमान
		Budget	Revised	Budget
		Estimates	Estimates	Estimates
Revenue Receipts	1374203	1515771	1505428	1725738
2. Tax Revenue (Net to Centre)	1101372	1227014	1269454	1480649
3. Non-Tax Revenue	272831	288757	235974	245089

सरकार अगले वर्ष के लिए जो राशि अनुमानित करती है, उसे *बजट अनुमान* कहते हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2018 में प्रस्तुत किए गए बजट में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न मदों के बजट अनुमान प्रदर्शित हैं।

किसी वित्तीय वर्ष में कुछ मंत्रालयों को *बजट अनुमान* के अंतर्गत आबंटित राशि से अधिक राशि की जरूरत हो सकती है या किसी स्रोत से अर्जित होने वाली प्राप्तियों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए 2018-19 के बजट अनुमान के साथ सरकार 2017-18 के *संशोधित अनुमान* को भी प्रस्तुत करती है जिसमें इन संशोधनों को शामिल किया जाता है। ऐसे संशोधनों में उस व्यय में बढ़त या कमी का लेखा-जोखा हो सकता है जो मौजूदा कार्यक्रमों, नए कार्यक्रमों की शुरुआत या प्राप्तियों में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जरूरी होता है।

वास्तविक आंकड़े वर्ष के अंत में ऑडिट होने वाली अंतिम राशि का संकेत होते हैं और अनुमान से अधिक या कम हो सकते हैं। चूंकि वास्तविक आंकड़े वित्तीय वर्ष के समाप्त होने और अंतिम लेखा तैयार करने के बाद ही ऑडिट होते हैं, इसलिए बजट में पिछले वर्ष के *वास्तविक* आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2018-19 के बजट में 2016-17 के *वास्तविक* आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं।

बजट के दस्तावेजों में कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा और दूसरे 'बड़े' आंकड़े कहां हैं?

बजट एक नजर में- को देखें। 'बजट एक नजर में' के पहले पृष्ठ पर तालिका में पूरे बजट का सारांश होता है।

'बजट एक नजर में' के खंड में बजट के मुख्य आंकड़े दिए जाते हैं जिन्हें पाठकों के लिए पढ़ना सरल होता है। इस दस्तावेज में केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय के मुख्य घटक प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें सरकार के घाटों, जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा का उल्लेख भी होता है।

बजट का सार *Budget at a Glance*

		(₹ करोड़) (In ₹ crore)			
		2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	अनुमान	अनुमान	अनुमान
			Budget	Revised	Budget
			Estimates	Estimates	Estimates
1. राजस्व प्राप्तियां	1. Revenue Receipts	1374203	1515771	1505428	1725738
2. कर राजस्व (केंद्र को निवल)	2. Tax Revenue (Net to Centre)	1101372	1227014	1269454	1480649
3. कर-भिन राजस्व	3. Non-Tax Revenue	272831	288757	235974	245089
4. पूंजी प्राप्तियां ¹	4. Capital Receipts ¹	600991	630964	712322	716475
5. ऋणों की वसूली	5. Recovery of Loans	17630	11933	17473	12199
6. अन्य प्राप्तियां	6. Other Receipts	47743	72500	100000	80000
7. उधार और अन्य देयताएं ²	7. Borrowings and Other Liabilities ²	535618	546531	594849	624276
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	8. Total Receipts (1+4)	1975194	2146735	2217750	2442213
9. कुल व्यय (10+13)	9. Total Expenditure (10+13)	1975194	2146735	2217750	2442213
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	10. On Revenue Account of which	1690584	1836934	1944305	2141772
11. ब्याज भुगतान	11. Interest Payments	480714	523078	530843	575795
12. पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	12. Grants in Aid for creation of capital assets	165733	195350	189245	195345
13. पूंजी खाते पर	13. On Capital Account	284610	309801	273445	300441
14. राजस्व घाटा (10-1)	14. Revenue Deficit (10-1)	316381 (2.1)	321163 (1.9)	438877 (2.6)	416034 (2.2)
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	15. Effective Revenue Deficit (14-12)	150648 (1.0)	125813 (0.7)	249632 (1.5)	220689 (1.2)
16. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	16. Fiscal Deficit [9-(1+5+6)]	535618 (3.5)	546531 (3.2)	594849 (3.5)	624276 (3.3)
17. प्राथमिक घाटा (16-11)	17. Primary Deficit (16-11)	54904 (0.4)	23453 (0.1)	64006 (0.4)	48481 (0.3)

2018-19 के लिए अनुमानित कर प्राप्तियां

2018-19 के लिए अनुमानित व्यय

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2018-19 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा, करोड़ में

किन करों से सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां होतीं?

बजट एक नजर में (प्राप्तियां)- को देखें। इस दस्तावेज में इस संबंध में विस्तृत जानकारी होती है कि किस प्रकार सरकार विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करने का इरादा रखती है।

निम्नलिखित रेखाचित्र में हम देखते हैं कि सरकार ने जीएसटी से कर प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा अर्जित करने का अनुमान लगाया है (2018-19 में 7,43,900 करोड़ रुपए)। हम यह भी देखते हैं कि निगम कर (2018-19 में 6,21,000 करोड़ रुपए) और आय कर (2018-19 में 5,29,000 करोड़ रुपए) भी सरकार की प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं।

प्राप्तियां Receipts

		(₹ करोड़) (In ₹ crore)			
		2016-2017	2017-18	2017-2018	2018-2019
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	अनुमान	अनुमान	अनुमान
			Budget	Revised	Budget
			Estimates	Estimates	Estimates
राजस्व प्राप्तियां	REVENUE RECEIPTS				
1. कर राजस्व	1. Tax Revenue				
सकल कर-राजस्व	Gross Tax Revenue	1715822	1911579	1946119	2271242
क. निगम कर	a. Corporation Tax	484924	538745	563745	621000
ख. आय पर कर	b. Taxes on Income	364604	441255	441255	529000
ग. धन कर	c. Wealth Tax	185
घ. सीमा शुल्क	d. Customs	225370	245000	135242	112500
ङ. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	e. Union Excise Duties	382094	406900	276995	259600
च. सेवा कर	f. Service Tax	254499	275000	79507	...
छ. जीएसटी	g. GST	444631	743900
- केंद्रीय जीएसटी	- CGST	221400	603900
- आइजीएसटी	- IGST	161900	50000
- जीएसटी क्षतिपूर्ति वचकर	- GST Compensation Cess	61331	90000
ज. संघ राज्य क्षेत्रों पर कर	h. Taxes on Union Territories	4146	4679	4744	5242
घटाइए -राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुकिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	Less - NCCD transferred to the NCCF/NDRF	6450	10000	3660	2500
घटाइए-राज्यों का हिस्सा	Less - State's share	608000	674565	673005	788093
1क केंद्र का निवल कर राजस्व	1a Centre's Net Tax Revenue	1101372	1227014	1269454	1480649

निगम कर प्राप्तियां (2018-19)

आय कर प्राप्तियां (2018-19)

जीएसटी प्राप्तियां (2018-19)

सबसिडी और पेंशन पर सरकारी व्यय की जानकारी कहां उपलब्ध है?

बजट एक नजर में (व्यय)- को देखें। इस दस्तावेज में तालिका 'मुख्य मदों में व्यय' में उन विभिन्न मदों का विवरण मौजूद होता है जिनमें सरकार धन खर्च करती है।

सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों, किसानों को बेची जाने वाली खाद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदत्त खाद्य पदार्थों पर सबसिडी देती है। दस्तावेज में सबसिडी के आबंटन से संबंधित आंकड़े भी देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 2018-19 में खाद्य सबसिडी के लिए 1,69,323 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। इसके अतिरिक्त दस्तावेज में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेंशन पर किए गए व्यय (2018-19 में 1,68,466 करोड़ रुपए) की जानकारी भी है।

प्रमुख मदों का व्यय Expenditure of Major Items

		(₹ करोड़) (In ₹ crore)			
		2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	अनुमान Budget Estimates	अनुमान Revised Estimates	अनुमान Budget Estimates
पेंशन	Pension	131401	131201	147387	168466
रक्षा	Defence	251781	262390	267108	282733
सब्सिडी -	Subsidy				
उर्वरक	- Fertiliser	66313	70000	64974	70080
खाद्य	- Food	110173	145339	140282	169323
पेट्रोलियम	- Petroleum	27539	25000	24460	24933
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	Agriculture and Allied Activities	50184	56992	56589	63836
वाणिज्य और उद्योग	Commerce and Industry	21364	24660	26310	27956
पूर्वोत्तर का विकास	Development of North East	2496	2682	2682	3000
शिक्षा	Education	72016	79686	81869	85010
ऊर्जा	Energy	30964	36718	41682	41104
विदेश मामले	External Affairs	12753	14798	13690	15012
वित्त	Finance	41549	29533	29449	20342
स्वास्थ्य	Health	39005	48878	53198	54667
गृह	Home Affairs	78360	83830	88143	93450
ब्याज	Interest	480714	523078	530843	575795
आईटी और दूरसंचार	IT and Telecom	17985	20787	17802	22380
अन्य	Others	63667	67722	69515	72845
योजना और सांख्यिकी	Planning and Statistics	4494	5049	5063	5199
ग्रामीण विकास	Rural Development	113877	128560	135604	138097
वैज्ञानिक विभाग	Scientific Departments	19493	22299	22370	24906
सामाजिक कल्याण	Social Welfare	31812	39383	38624	44220
कर प्रशासन *	Tax Administration *	22146	12699	77747	105541

पेंशन के लिए आबंटन (2018-19)

प्रमुख सबसिडी के लिए आबंटन (2018-19)

किसी मंत्रालय या विभाग में विभिन्न मदों के लिए आबंटित राशि का कैसे पता लगाया जा सकता है?

व्यय बजट को देखें। यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के आबंटनों की जानकारी देता है। हम कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का उदाहरण ले सकते हैं। निम्नलिखित रेखाचित्र में इस विभाग का कुल आबंटन प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के विस्तृत अनुमानों के आंकड़े भी हैं।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE
DEMAND NO. 1
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare

	Actual 2017-2018			Budget 2018-2019			Revised 2018-2019			Budget 2019-2020			
	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	
Gross	46437.80	17.36	46455.16	46586.30	113.70	46700.00	67764.98	35.02	67800.00	129550.51	34.70	129585.21	
Recoveries	-9058.44	...	-9058.44	
Receipts	
Net	37379.36	17.36	37396.72	46586.30	113.70	46700.00	67764.98	35.02	67800.00	129550.51	34.70	129585.21	
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:													
CENTRE'S EXPENDITURE													
Establishment Expenditure of the Centre													
1. Secretariat													
1.01	Secretariat	116.87	...	116.87	134.00	...	134.00	138.61	...	138.61	145.89	...	145.89
1.02	International Cooperation	32.59	...	32.59	32.43	...	32.43	32.06	...	32.06	32.56	...	32.56
1.03	Other Attached and Subordinate Offices	309.46	1.82	311.28	403.52	...	403.52	350.93	...	350.93	376.44	...	376.44
Total- Secretariat		458.92	1.82	460.74	569.95	...	569.95	521.60	...	521.60	554.89	...	554.89
Central Sector Schemes/Projects													
2. Crop Insurance Scheme													
2.01	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana	9419.22	...	9419.22	13000.00	...	13000.00	12975.70	...	12975.70	14000.00	...	14000.00
2.02	Transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh	8916.39	...	8916.39
2.03	Met from Krishi Kalyan Kosh	-8916.39	...	-8916.39
Net		9419.22	...	9419.22	13000.00	...	13000.00	12975.70	...	12975.70	14000.00	...	14000.00
3. Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers													
3.01	Interest Subsidy for Short Term Credit to	13045.72	...	13045.72	15000.00	...	15000.00	14987.00	...	14987.00	18000.00	...	18000.00

कृषि विभाग के लिए आबंटन (2018-19)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आबंटन (2018-19)

किसी योजना के लिए आबंटित राशि की जानकारी कहां से उपलब्ध होगी?

व्यय बजट को देखें। उसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की तालिका है, जैसे हमने यहां प्रस्तुत की है। इस दस्तावेज में सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को एक तालिका में प्रस्तुत किया गया है (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं ऐसी योजनाएं होती हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है लेकिन इन्हें केंद्र सरकार द्वारा व्यापक रूप से वित्त पोषित किया जाता है और प्रत्येक राज्य का एक निश्चित हिस्सा होता है)।

Expenditure Profile 2019-2020

18

STATEMENT 4A

CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

(In ₹ crores)

MINISTRY/DEPARTMENT	Actuals 2017-2018			Budget Estimates 2018-2019			Revised Estimates 2018-2019			Budget Estimates 2019-2020		
	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total
(A) Core of the Core Schemes	77573.36	443.22	78016.58	77283.33	407.42	77690.75	84361.69	0.01	84361.70	81183.06	0.01	81183.07
1. National Social Assistance Program	8694.22	...	8694.22	9975.00	...	9975.00	8900.39	...	8900.39	9200.00	...	9200.00
2. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program	55166.04	...	55166.04	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
3. Umbrella Scheme for Development of Schedule Castes	4877.87	183.22	5061.09	4875.18	307.40	5182.58	7609.18	...	7609.18	5394.59	...	5394.59
4. Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes	3573.14	...	3573.14	3806.02	...	3806.02	3778.00	...	3778.00	3810.02	...	3810.02
5. Umbrella Programme for Development of Minorities	3778.22	170.00	3948.22	1439.98	0.02	1440.00	1439.98	0.01	1439.99	1551.35	0.01	1551.36
6. Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups	1483.87	90.00	1573.87	2187.15	100.00	2287.15	1550.05	...	1550.05	1227.10	...	1227.10
(B) Core Schemes	208120.19	60.13	208180.32	227450.64	375.73	227826.37	220335.16	152.51	220487.67	246396.55	99.81	246496.36
7. Green Revolution	11041.20	15.54	11056.74	13795.22	113.70	13908.92	11767.24	35.02	11802.26	12577.30	34.70	12612.00
8. White Revolution	1573.81	...	1573.81	2219.89	...	2219.89	2430.92	...	2430.92	2140.00	...	2140.00
9. Blue Revolution	321.45	...	321.45	642.61	...	642.61	501.00	...	501.00	560.00	...	560.00
10. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna	6612.10	0.71	6612.81	9427.42	1.63	9429.05	8249.80	1.63	8251.43	9514.43	1.50	9515.93
11. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna	16862.12	...	16862.12	19000.00	...	19000.00	15500.00	...	15500.00	19000.00	...	19000.00
12. Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)	31163.60	...	31163.60	27505.00	...	27505.00	26405.01	...	26405.01	25853.26	...	25853.26
13. National Rural Drinking Water Mission	7037.96	...	7037.96	7000.00	...	7000.00	5500.00	...	5500.00	8200.66	...	8200.66
14. Swachh Bharat Mission	19427.02	...	19427.02	17843.10	...	17843.10	16978.03	...	16978.03	12750.00	...	12750.00

नरेगा के लिए आबंटन (2018-19)

स्वच्छ भारत मिशन के लिए आबंटन (2018-19)

पारिभाषिक शब्द

प्राप्तियां सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि होती है। इनमें: (i) सरकार द्वारा अर्जित धनराशि, और (ii) उधारियों के रूप में प्राप्त होने वाली राशि या राज्यों को दिए गए ऋण की अदायगी शामिल होता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में वे प्राप्तियां शामिल होती हैं जिसने सरकार की परिसंपत्तियों में गिरावट या देनदारियों में बढ़ोतरी होती है। इनमें: (i) परिसंपत्तियों की बिक्री, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, और (ii) उधारियों के रूप में प्राप्त होने वाली राशि या राज्यों को दिए गए ऋण की अदायगी शामिल होता है।

राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कोई सीधा असर नहीं होता। इनमें सरकार द्वारा कर और गैर कर स्रोतों (जैसे लाभांश से प्राप्त होने वाली आय) से अर्जित धनराशि शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों के सृजन या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें: (i) सड़क और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल धन, और (ii) सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में दिया गया धन या उसकी उधारियों की अदायगी शामिल होती है।

राजस्व व्यय सरकार का वह व्यय होता है जिसका उसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों पर कोई असर नहीं होता। उदाहरण के लिए उसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक खर्च शामिल होता है।

शुद्ध उधारियों का अर्थ है, वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उधार ली गई शुद्ध धनराशि। यह किसी एक वर्ष में सरकार की कुल उधारियां होती हैं, जिसमें से मौजूदा उधारियों की अदायगी की राशि को कम कर दिया जाता है।

बकाया ऋण का अर्थ है, पिछले कुछ वर्षों द्वारा सरकार द्वारा उधार ली गई वह राशि, जोकि मौजूदा सरकार पर देय है। किसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि वर्ष के अंत में सरकार पर कितना ऋण बकाया है।

राजकोषीय घाटा, सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। किसी एक वर्ष में सरकार को कितनी राशि उधार लेनी होगी, यह उसके बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो अधिशेष उत्पन्न होता है।

राजस्व घाटा प्राप्तियों के राजस्व घटक और व्यय, यानी राजस्व संवितरण और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को गैर पूंजीगत घटकों (जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होगा) पर व्यय के लिए कितना उधार लेना होगा।

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे और सरकार द्वारा राज्यों, स्थानीय निकायों या परिसंपत्तियों का सृजन करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए अनुदान के बीच का अंतर होता है।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। यह सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर का संकेत देता है लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं होता कि पिछले वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों पर कितना खर्च किया गया।

भारत का समेकित कोष वह कोष या लेखा होता है जिसमें सरकार की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और उसे सरकार के व्यय के वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

प्रभारित (चार्ज) व्यय में वह व्यय शामिल होता है जिस पर संसद में मतदान नहीं होता और उसे समेकित कोष से सीधा खर्च किया जाता है। ऐसे व्यय पर संसद में चर्चा की जा सकती है। उदाहरणों में ब्याज भुगतान, और राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते।

मतदान (वोट) व्यय में प्रभारित व्यय के अतिरिक्त सभी दूसरे व्यय शामिल होते हैं। ऐसे व्यय के लिए अनुदान मांगों के रूप में संसद में मतदान किया जाता है।

वित्त विधेयक को बजट के साथ प्रस्तावित किया जाता है और इसमें आगामी वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं।

विनियोग विधेयक सरकार को अधिकार देता है कि वह समेकित कोष से धन निकाल ले। अनुदान मांगों के पारित होने के बाद इसे पेश और पारित किया जाता है।

स्रोत

लोकसभा रूल्स एंड प्रोसीजर्स, लोकसभा सचिवालय, 2014

एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सचिवालय, 7वां संस्करण, 2016

यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स, 2002-03 से 2019-20, www.indiabudget.gov.in.

ब्रोशर ऑन डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, लोकसभा सचिवालय, 2018

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज

तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय,

212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

टेलीफोन: (011) 43434035-36, 23234801-02

www.prsindia.org